दिनांक 30.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 553/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0–जनपद आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 सक्रिय/शातिर चोर गिरफ्तार।

दिनांकः 30–10–2026 को एस0टीएफ0 उत्तर उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा के विभिन्न थानाक्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 सक्रिय/शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1–पवन शर्मा पुत्र देवकीनंदन निवासी सुंदर कालौनी, थाना निहालपुर, धौलपुर, राजस्थान।

2–विशाल अग्रवाल पुत्र नरेश अग्रवाल निवासी राठौर कालौनी, थाना निहालगंज, धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी का विवरणः–

1– टाटा योद्धा पिकप वाहन संख्याः RJ-11 GB-6795

2– रुपये 40,000/– नकद

3– तांबा कुल वजन 249 कि0ग्रा0।

4– एक अदद लोहे का सब्बल व एक अदद तार काटने का कटर।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 30–10–2026 समय 01:30 बजे रात्रि स्थान अछनेरा साधन मार्ग, साधन अण्डरपास, थाना अछेनरा, कमिश्नरेट आगरा।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से ट्रान्सफार्मर चोरी करने वाले गैंग के द्वारा अपराध करने व अन्य अपराधो में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 रजनीश, मु0आ0 अंकित गुप्ता, आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी मानवेन्द्र उपाध्याय, चालक कां0 महेश रावत की टीम जनपद आगरा में भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ट्रान्सफार्मर चोरी करने वाले गैंग के 02 सदस्य थानाक्षेत्र अछनेरा में आने वाले हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अछनेरा–साधन मार्ग, साधन अण्डरपास, थानाक्षेत्र अछनेरा, आगरा से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका गिरोह है, जो जनपद आगरा में अलग–अलग क्षेत्रों में बिजली तार ट्रान्सफार्मर एवं अन्य उपकरणों की चोरी करता है। इनके पास से बरामद माल के बारें में बताया गया कि यह अछनेरा, बमरौली कटारा, मलपुरा व फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से चोरी किया हुआ है तथा कुछ माल हमारे साथी नैना उर्फ नैहना उर्फ प्रदीप ने बेच दिया था, उसी बिके हुए माल के रूपये 40,000/– बचे थे। शेष चोरी का माल बेचने के लिए राजस्थान जा रहे थे इसी दौरान पकड़ लिए गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना अछनेरा, कमिश्नरेट आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 275/26 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 287/26 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 297/26 धारा 303(2) बीएनएस में दाखिल अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त विशाल अग्रवाल का आपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0/धारा	नाम थाना	जनपद
1	मु0अ0सं0 275/26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
2	मु0अ0सं0 287/26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
3	मु0अ0सं0 297/26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
4	मु0अ0सं0 270/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना फतेहपुरसीकरी,	कमि0 आगरा
5	मु0अ0सं0 364/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना फतेहपुरसीकरी,	कमि0 आगरा
6	मु0अ0सं0 346/26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना मलपुरा,	कमि0 आगरा
7	मु0अ0सं0 389/26 धारा 303(2) बीएनएस	थाना मलपुरा	कमि0 आगरा
8	मु0अ0सं0 110/26 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना बमरौली कटारा	कमि0 आगरा

अभियुक्त पवन शर्मा का आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0 / धारा	नाम थाना	जनपद
1	मु0अ0सं0 275 / 26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
2	मु0अ0सं0 287 / 26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
3	मु0अ0सं0 297 / 26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना अछनेरा,	कमि0 आगरा
4	मु0अ0सं0 270 / 26 धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना फतेहपुर सीकरी,	कमि0 आगरा
5	मु0अ0सं0 364 / 26 धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना फतेहपुर सीकरी,	कमि0 आगरा
6	मु0अ0सं0 346 / 26 धारा 303(2) बीएनएस,	थाना मलपुरा,	कमि0 आगरा
7	मु0अ0सं0 389 / 26 धारा 303(2) बीएनएस	थाना मलपुरा	कमि0 आगरा
8	मु0अ0सं0 110 / 26 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना बमरौली कटारा	कमि0 आगरा
9	मु0अ0सं0 60 / 25 धारा 303(2) बीएनएस	थाना बाह	कमि0 आगरा
10	मु0अ0सं0 32 / 25 धारा 303(2) / 317(2) / 317(4) / 317(5) बीएनएस	थाना बसई अरेला	कमि0 आगरा
11	मु0अ0सं0 354 / 23 धारा 379 भादंवि	थाना फतेहाबाद	कमि0 आगरा
12	मु0अ0सं0 162 / 25 धारा 303(2) / 305(ई) / 317(2) / 317(4) / 317(5) / 331(2) बीएनएस	थाना फतेहाबाद	कमि0 आगरा
13	मु0अ0सं0 110 / 26 धारा 305 / 317(2) / 317(4) बीएनएस	थाना इरादतनगर	कमि0 आगरा
14	मु0अ0सं0 11 / 26 धारा 313 बीएनएस	थाना इरादतनगर	कमि0 आगरा
15	मु0अ0सं0 258 / 23 धारा 379 / 411 भादंवि	थाना खेरागढ़	कमि0 आगरा
16	मु0अ0सं0 08 / 23 धारा 379 / 411 / 427 भादंवि	थाना निबोहरा	कमि0 आगरा
17	मु0अ0सं0 13 / 23 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	थाना निबोहरा	कमि0 आगरा
18	मु0अ0सं0 28 / 18 धारा 380 / 411 / 457 भादंवि	थाना रकाबगंज	कमि0 आगरा
19	मु0अ0सं0 215 / 19 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	थाना शमशाबाद	कमि0 आगरा
20	मु0अ0सं0 337 / 23 धारा 379 / 411 / 413 / 414 भादंवि	थाना शमशाबाद	कमि0 आगरा
21	मु0अ0सं0 366 / 25 धारा 112 / 305(1) / 317(2) / 317(4) बीएनएस	थाना शमशाबाद	कमि0 आगरा
22	मु0अ0सं0 1161 / 19 धारा 380 / 411 / 457 भादंवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
23	मु0अ0सं0 1199 / 19 धारा 380 / 411 भादंवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
24	मु0अ0सं0 1200 / 19 धारा 380 / 427 / 457 भादंवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
25	मु0अ0सं0 0008 / 20 धारा 380 / 411 / 457 भादंवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
26	मु0अ0सं0 0031 / 20 धारा 379 भादंवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
27	मु0अ0सं0 0044 / 20 धारा 380 / 411 / 457 भादवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
28	मु0अ0सं0 0584 / 20 धारा 379 / 411 भादवि	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
29	मु0अ0सं0 0585 / 20 धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
30	मु0अ0सं0 0173 / 2021 धारा 60 आबकारी एक्ट	थाना ताजगंज	कमि0 आगरा
31	मु0अ0सं0 0411 / 20 धारा 112(2) / 303(1) / 317 (2) / 324(3) बीएनएस धारा 136 विद्युत अधिनियम	थाना एकता	कमि0 आगरा

- **<u>जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 44 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना सरायलंखसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/354/506/342 भादवि व 5छ/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मदन कुमार 2–सुमित कुमार को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 44 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 84 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त योगेश को आजीवन कारावास व 84 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना इलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना इलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व नवीन धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त इजहार उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुधीर को सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नवाब को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त गोपी को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कलवारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्ण कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन्स (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/457 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त किशनपाल उर्फ गुज्जर को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बब्लू उर्फ धर्मेशचन्द्र 2–कल्लू उर्फ उमेशचन्द्र 3–धीर को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कुलदीप को 07 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————